(8)

I/निगरानी/सागर/भू०रा०/1550

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–सागर

1– कृपाशंकर पुत्र स्व. परषोत्तम लाल दुबे
2– कमलेश पुत्र स्व. परषोत्तम लाल दुबे
3– शिवचरण पुत्र स्व. परषोत्तम लाल दुबे
4– प्रेमनारायण पुत्र स्व. परषोत्तम लाल दुबे
निवासीगण – ग्राम पथरिया हाट थाना मोतीनगर तहसील व जिला सागर (म.प्र.)

...... आवेदकगण

श्री के. के. द्विवेदी, अधि. द्वारा आज दि. 30/5/17 को प्रस्तुत
30/5/17
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1– श्रीमती विनोद बाई पुत्री स्व. परषोत्तम लाल दुबे पत्नी श्री हरिनारायण मिश्रा
निवासी – सदभावना नगर मकरौनिया तहसील व जिला सागर (म.प्र.)
2– श्रीमती शकन्तुला बाई पुत्री स्व. परषोत्तम लाल दुबे पत्नी मुकेश दुबे
निवासी – बंडा तहसील बंडा जिला सागर (म.प्र.)
3– श्रीमती विनीता बाई पुत्री स्व. परषोत्तम लाल दुबे पत्नी रामनारायण चौबे
निवासी – तिली वार्ड सागर जिला सागर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 188/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

30.5.17
K. K. Dwivedi
Adv.

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारो पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदकगण एवं अनावेदकगण आपस में सगे भाई बहन है, आवेदकगण एवं अनावेदकगण के पिता परषोत्तम लाल दुबे निधन दिनांक 16.11.2004 को हो गया है उनकी माँ प्रेमवती भी फौत हो चुकी है आवेदकगण ने अपने पिता की सम्पत्ति मौजा पथरिया हाट प.ह.न. नं. 47 में स्थित भूमि खसरा 4/1, 5, 20, 21, 22,

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आवृत्ति आदेश पृष्ठ

I / निगरानी / सागर / भू0रा0 / 2017 / 1550

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
01-09-2017	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन किया जिससे प्रकट होता है कि मृतक पुरूषोत्तम लाल की मृत्यु के पश्चात उसके 8 वारिसों में बराबर 1/8 अनुपात में पटवारी द्वारा बटवारा फर्द प्रस्तुत नहीं किये जाने पर भी तहसीलदार द्वारा उक्त फर्द को स्वीकार करते हुये बटवारा आदेश पारित किया है जिसे अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विधि व प्रकियात्मक भूल होने से निरस्त किया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि अपर आयुक्त ने अपने आदेश से की है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि प्रकट नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से ग्राह्यता के स्तर पर निरस्त की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (एस0एस0 अली) सदस्य	